न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 82/2015

1 केशव देव आयु 61 वर्ष पुत्र स्व. श्री गोकलचन्द जाति धाकड निवासी हिण्डौन, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन सिटी, जिला करौली

रेस्पोटेंड

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी मु0न0 179/2012 निर्णय दिनांक 03.07.2013)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की और से श्री सीताराम गुर्जर
2. रेस्पोडेंट की और से राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 28.01.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के मु0न0 179/2012 निर्णय दिनांक 03.07.2013 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि खसरा नम्बर 10131/6022 रकबा 0.16 ऐयर बाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन ने सडक बनाकर तथा प्लाटिंग कर कृषि भूमि को आवासीय बनाया जा रहा है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य हेतु दी गई है। इसलिए शर्त भंग करने के कारण विपक्षीगण उपरोक्त आराजी से बेदखल करने योग्य है, जो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैधानिक है खातेदार द्वारा यह अवैधनिक कार्य किया जा रहा है। खातेदार अपनी कृषि भूमि में केवल कृषि कार्य ही कर सकता है परन्तु खातेदार द्वारा भूमि का संपरिवर्तन कराये बिना राज्य सरकार की अनुमति के बिना सडक बनाकर तथा प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है, जो अवैधानिक है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपींलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर क़ी गई। रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस मीमो ऑफ अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील विधि एवं नियम विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सामग्री के विपरीत होने के कारण काबिल मंसूखी है। योग्य

Scanned by CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.07.2013 की तारीख पेशी के लिए अपीलार्थी/प्रतिपक्षी को कोई सम्मन/नोटिस जारी नहीं किये है, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.07.2013 को अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर व उसी दिन हल्का पटवारी वेदराम के बयान रिकार्ड कर व उक्त दिनांक को ही निर्णय जैर अपील पारित कर भारी कानूनी भूल की है जो विधि एवं नियम विरूद्ध है तथा तीनों ही प्रोसिंग एक साथ करने का कानूनी प्रावधान/पोविजन नही है। प्रकरण की आदेशिका दिनांकित 03.07.2013 पर कोई गौर किये बगैर निर्णय जैर अपील प्रदान किया है। आदेशिका दिनांकित 03.07.2013 व निर्णय दिनांक 03.07.2013 विरोधाभाषी है। आदेशिका में दोनो पक्षो की उपस्थिति दर्ज है एवं पूर्व में दिनांक 23.05.2013 को प्रस्तुत जवाब को रिकोर्ड पर लिया गया है जबकि निर्णय जैर अपील में जवाब का हवाला नहीं होकर एकपक्षीय कार्यवाही कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र टी.आई. में रमेशचन्द जी एडवोकेट का वकालतनामा पेश करना गलत लिखा है।, अपीलार्थी को साक्ष्य,सफाई व सुनवाई का अवसर दिये बगैर व हल्का पटवारी बेदराम से जिरह करने का अवसर दिये बगैर उक्त निर्णय जैर अपील पारित कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की घोर अवहेलना कर निर्णय जैर अपील प्रदान किया है। प्रार्थना पत्र पस्तुतकर्त्ता, रिपोर्टकर्त्ता रेस्पोडेन्ट तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन के बिना बयान लेखबद्ध किये एवं हल्का पटवारी बेदराम के लिखे लिखाये बयान की जिस पर अपीलार्थी को कोस एग्जामिनेशन कराये बगैर निर्णय जैर अपील पारित किया है। आदेश 17 जा0दी0 के आदेशात्मक प्रावधानों का खुला उल्लंघन (बोइलेशन) होने के कारण निर्णय जैर अपील काबिल मंसूखी है। अपीलार्थी भूमि खसरा नम्बर 10131/6022 रकबा 0.16 ऐयर बाके कस्बा, हिण्डौन सिटी का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट ने उबड खाबड भूमि को सुधार कर पेड पौधे लगाये है तथा मौके पर काबिज काश्त है। काश्त करने व पेड पौधे लगाने का अपीलांट को पूर्ण अधिकारी है। अपीलार्थी ने उक्त भूमि में सडक नहीं बनाई है और नाही प्लाटिंग कर आवासीय निर्माण किया है। हल्का पटवारी अनुचित लाभ लेने की गरज से व अपीलान्ट को हरसमेन्ट करने की गरज से संभावित संभावनाओं के आधार पर झूठी सूचना तहसीलदार हिण्डौन को देकर प्रार्थना पत्र पेश करवाया है जो काबिल निरस्तनीय है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट तारीख 18.07.2012 मौजूदा खसरा गिरदावरी के विपरीत होने के कारण काबिल विश्वसनीय नहीं होने पर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील प्रदान किया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट वृद्धावस्थ की विभिन्न बीमारियों के कारण घर पर रहकर व ईलाज लेकर समय व्यतीत कर रहा था। जवाब पेश करने के बाद वकील से भी नहीं मिल पाया था दिनांक 19.10.2015 को अपीलार्थी का पुत्र राजू अन्य दीगर मामले में सलाह लेने वकील के पास गया तब पूछने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। इस कारण समय पर अपील पेश नही हुई। इसके लिए धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील अधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

रेस्पो0 के राजकीय अधिवक्ता ने जबाब मे तर्क दिया कि भूमि का समस्त लेखा जोखा पटवारी हल्का द्वारा ही रखा जाता है। अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 10131/6022 रकबा 0.16 है0 बाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित खातेदारी भूमि पर सडक बनाकर तथा प्लाटिंग कर कृषि भूमि को आवासीय बनाया जा रहा है तथा कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किये जाने के कारण ही अपीलांट के विरूद्व अधिनरथ न्यायालय में वाद पेश किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही तहसीलदार ने वाद पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजो को मध्य नजर रखते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट को नोटिस जारी कर साक्ष्य सबूत पेश करने की अपेक्षा की गई थी परन्तु अपींलाट के पुत्र द्वारा तामिल प्राप्त करने के पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे के दौरान पटवारी हल्का के बयान कलमवद्व किये गय है जिसमे पटवारी हल्का ने विवादित आराजीयात पर अपीलांट द्वारा अकृषि कार्य मे लिऐ जाने के बयान कलमवद्व कराये है जिसे तहसीलदार द्वारा स्वयं प्रमाणित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है जिसका कोई समुचित आधार अपीलांट द्वारा नही बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। इससे प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय में वाद सं0 179/2012 के संस्थित होने के उपरान्त प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, जिसे राजेश पुत्र केशव के द्वारा प्राप्त किया गया है। इसके उपरांत दिनांक 23.05.2013 जवाब दावा प्रस्तुत किया है। पटवार हल्का द्वारा अपने बयान में कथन किया है कि खसरा नम्बर 10131/6022 रकबा 0.16 स्थित ग्राम हिण्डौन पर श्री केशव देव पुत्र गोकलचन्द जाति धाकड द्वारा सडक निकाल कर प्लाटिंग कर आवासीय निर्माण कर लिया है। बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही कृषि भूमि को आवासीय अकृषि भूमि में आवासीय कर लिया है जो नियम विरूद्व है जो विधि अनुरूप नहीं है। इसमें विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अतः अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के मु0नं0 179/2012 निर्णय दिनांक 03.07.2013 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28-1-20

राजस्व अपील अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.28 15:00:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: